an>

Title : Need to restart closed Jute Mills in Samastipur, Bihar.

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया ।

सबसे पहले, मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जब से मैं सांसद निर्वाचित हुआ हूं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, जब आप सदन में बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मैं उन्हें यही कहता हूं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस अपने बचपन में, उस कक्षा में वापस आ गया हूं, जहां पर अध्यापक हमारे सामने बैठे होते हैं । कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टिप्पणियां करते हैं, कुछ अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बैक-बेंचर्स होते हैं और कुछ सदस्य शान्त बैठते हैं । साथ ही , वह भी डर रहता है, जो डर एक स्टूडेंट को तब होता था, जब पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के समय उनके गार्जियन्स स्कूल में आते थे, उनको रिपोर्ट कार्ड देते थे । वह डर हमें रोज होता है, क्योंकि जब मैं इस सदन में बैठता हूं, तो मेरे समक्ष मेरे भैया, बड़े पापा और मझले पापा यहां रहते हैं कि कहीं गलती या चूक न हो जाए । सर, मैं आपसे और सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करें और उस गलती को नजरअंदाज करें ।

सर, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूं । यह समस्या, जब मैंने वर्ष 2015 में विधान सभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी हमारे समक्ष आई थी और मेरे पिताजी के प्रयासों से उस समस्या से निदान भी मिला था । मेरे लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर में जूट मिल कारखाने से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है । वह कारखाना काफी समय से कुछ कारणवश बन्द पड़ा है । वर्ष 2015 में जब यह समस्या सामने आई थी, तब मेरे पिताजी के प्रयास से इस कारखाने को खोला गया था, लेकिन पिछले तीन सालों से यह कारखाना बन्द है

। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कारखाने में लगभग पांच हजार वर्कर्स काम करते थे, जो इस कारखाने के बन्द होने की वजह से दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह मामला केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है, यह सिविल सप्लाईज का मामला है । जब इस कंपनी ने अपना प्रोडक्शन करके राज्य सरकार को दिया था, तब उसमें से कुछ राशि बकाया रह गई थी, जो इस कंपनी को नहीं मिली थी । उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था । मेरे पास कोर्ट की जजमेंट है । यह 10 अक्टूबर की माननीय पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें साफ लिखा गया है :

> "..clearly stating that the claimant has not violated any condition of the Agreement and there is no cause for blacklisting the claimant."

इसमें साफ लिखा गया है कि जिस आधार पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, वह वाजिब नहीं है । कोर्ट की जजमेंट है कि the amount is payable by the Corporation to the claimant forthwith along with the interest of 12 per cent, half-yearly compoundable. इसका मतलब है कि जो राशि बकाया है, उसे देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है ।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस राशि को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए, ताकि वे 5000 मजदूर, जो अन्य प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, वे वापस आकर, वहां अपने परिवार के साथ रहकर, उनका पालन-पोषण करें, उनका ध्यान रखें और अपने प्रदेश में ही वे काम कर सकें । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव जाधव ।

…(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा : सर, मैंने एक विषय दिया था । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय देख रहा हूं । देखने के बाद बताऊंगा ।

सुश्री महुआ मोइत्रा : सर, तब तो अभी एक घण्टा लगेगा, उसे देख लीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय दोबारा पढ़ लेता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय पढ़कर कल आपको सब्जेक्ट दूंगा ।

…(व्यवधान)